



झारखण्ड गजट असाधारण अंक झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 149 राँची, गुरुवार, 26 चैत्र, 1948 (श०)
16 अप्रैल, 2026 (ई०)

वित्त विभाग

अधिसूचना

30 मार्च, 2026

अधिसूचना सं० : 25/विविध-19/2025-26--राज्य के आर्थिक विकास, स्थिरता, संसाधनों के यथोचित आवंटन तथा आम नागरिकों के बीच आय एवं सम्पत्तियों की असामनता को कम किये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लक्ष्यों का निर्धारण वार्षिक बजट के माध्यम से किया जाता है। उक्त आलोक में वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में वार्षिक बजट में लक्ष्य निर्धारित करते हुए प्रत्येक वर्ष बजट भाषण तैयार किया जाता है, जिसे बजट सत्र के दौरान माननीय वित्त मंत्री द्वारा विधानमंडल को अवगत कराया जाता है। अतएव बजट घोषणाओं में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के सतत् अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण किये जाने की आवश्यकता है।

2. उपर्युक्त अंकित तथ्यों के आलोक में बजट घोषणाओं में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एतद्संबंधी विभिन्न विभागों द्वारा अपेक्षित/अनुवर्ती कार्रवाई (विकास योजनाओं के कार्यान्वयन) के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण किये जाने के निमित्त विकास आयुक्त, झारखण्ड की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन निम्नवत किया जाता है :-

(i) विकास आयुक्त, झारखण्ड

- अध्यक्ष,

- (ii) सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड - सदस्य,
(iii) सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड - सदस्य,
(iv) सचिव (संसाधन/व्यय), वित्त विभाग, झारखण्ड - सदस्य।

3. गठित समिति वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से प्रत्येक दो (2) माह के अंतराल पर विभिन्न विभागों के साथ बैठक आयोजित कर बजट घोषणाओं के अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करेगी तथा कार्यवाही तैयार करेगी जिसे वित्त विभाग द्वारा माननीय वित्त मंत्री के समक्ष उपस्थापित किया जाएगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चन्द्रभूषण प्रसाद,

सरकार के संयुक्त सचिव ।
